जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन/2017/511 दिनांक 14.09.2017

प्रति,

अंतिम पत्र

(1) विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालायें
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

(2) प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त शासकीय/अशासकीय
महाविद्यालय जीवाजी
विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) समूह 'ख' के अंतर्गत विश्वविद्यालय सभा हेतु शिक्षकों के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

संदर्भः पत्र क्र. एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन/2017/478 दिनांक 13.06.17 एवं एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन/2017/500 दिनांक 24.07.2017

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) **समूह 'ख'** के अंतर्गत विश्वविद्यालय सभा की सदस्यता हेतु भिन्न-भिन्न संवर्गो में शिक्षकों का निर्वाचन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :-

1	20(1) दस	प्राचार्य (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के चार प्राचार्य, जिनमें से एक महिला)
2	20(1) ग्यारह	आचार्य (विश्वविद्यालयीन तीन)
3	20(1) बारह	आचार्य (महाविद्यालयीन दो)
4	20(1) तेरह	1. उपाचार्य(Reader)/प्राध्यापक(Lecturar)(विश्वविद्यालयीन दो) 2. सहायक आचार्य (महाविद्यालयीन तीन)

उक्त संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि, बार-बार निवेदन के उपरांत भी आपके महाविद्यालय से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक इस कार्यालय में अप्राप्त है।

अतः आप अपने अध्ययनशालाओं एवं महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त नियमित प्राचार्य/शिक्षकों की सूची (संवर्ग सहित) शीघ्र ही विश्वविद्यालय कार्यालय की ओर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि, विश्वविद्यालय सभा हेतु शिक्षकों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधिक मतदाता सूची तैयार कर जारी की जा सके।

उपरोक्तानुसार संवर्गवार शिक्षकों की सूची दिनांक 27.09.2017 तक अनिवार्य रुप से विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करें। अंतिम तिथि के उपरांत शिक्षक संवर्ग के निर्वाचन हेतु प्रावधिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जावेगा।

साथ ही अशासकीय महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिनका अनुमोदन परिनियम 28(17) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा किया जा चुका है उनके नाम भी सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें। यदि आपके द्वारा किसी ऐसे शिक्षक का नाम विश्वविद्यालय की ओर भेजा जाता है। जिसका कि अनुमोदन परिनियम 28(17) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा नहीं किया गया है। उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

भवदीय

(प्रो. आनन्द मिश्रा)
कुलसचिव/निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी विश्वविद्यालय बेबसाइट की ओर इस निर्देश के साथ कि, इसे विश्वविद्यालय बेबसाइट पर प्रसारित करें।
5. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

सहायक निर्वाचन अधिकारी